संख्या 31011/4/88-स्था.(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 मार्च, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को " अध्ययन छुट्टी " की अवधि के दौरान, छुट्टी यात्रा रियायत की अनुज्ञेयता से सम्बन्धित प्रश्न ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग में काफी बड़ी संख्या में इस आशय के पत्र प्राप्त होते रहे है जिनमें यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अध्ययन छुट्टी की अवधि के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत की अनुमति दी जा सकती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अध्ययन छुट्टी की अवधि में, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत अनुज्ञेय होती है । ऐसे मामलों में दावों को निम्नानुसार विनियमित किया जाए:

(क) <u>स्वयं के लिए</u>

कोई भी सरकारी कर्मचारी अध्ययन छुट्टी के स्थान से, भारत के किसी भी स्थान तक/ मूल निवास स्थान तक छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ प्राप्त कर सकता है, किन्तु शर्त यह कि इस किराए की प्रतिपूर्ति उसके मुख्यालय स्टेशन से भारत के किसी भी स्थान तक/मूल निवास स्थान के बीच यात्रा के लिए अनुज्ञेय किराये अथवा वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो, तक प्रतिबंधित किया जाए,

(ख) <u>कुटुम्ब के सदस्यों के लिए:</u>

(i) <u>जब किसी सरकारी कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य, उसकी अध्ययन छुट्टी के स्थान पर उसके साथ रह रहे</u>

प्रतिपूर्ति उपर्युक्त(क) के अनुसार की जाएगी,

(ii) जब वे अध्ययन छुट्टी के स्थान पर न रह रहे हों:

यह प्रतिपूर्ति छुट्टी यात्रा रियायत योजना की सामान्य शर्तों के अधीन, की जाएगी ।

2. कृषि मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त स्पष्टीकरण को अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों आदि की जानकारी में लाएं ।

अ जयरामन
(ए० जयरामन)
निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों को सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

संख्या 31011/1/88-स्था०(क) दिनांक मार्च, 1988

प्रति, सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित, निम्न को प्रेषित:-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली
4. पंजीयक, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली
5. भाषाई अल्प संख्यकों के आयुक्त, इलाहाबाद
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. राज्य-सभा-सचिवालय, नई दिल्ली
8. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
9. राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्श तंत्र) के सभी सदस्य
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
11. गृह मंत्रालय तथा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में सभी अधिकारी/अनुभाग ।

अ जयरामन
(ए० जयरामन)
निदेशक (स्थापना)

50 अतिरिक्त प्रतियां ।